न्यायालय, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या-381/2019-20

राज्य बनाम रोहित कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1	2	3
25.6.21	**आदेश** प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 229/हि0शा0 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा मानसी थाना कांड संख्या-398/2019, दिनांक 18.11.2019, धारा-30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या- BR34C-9889 का बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया। पुलिस निरीक्षक सदर खगड़िया अंचल के प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 18.11.2019 में वादी श्री कमल कुमार सिंह थानाध्यक्ष, अलौली के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जप्त लाल रंग का होण्डा मोटर साईकिल बिना नम्बर का वाहन से 375 एम0एल0 का 30 बोतल विदेशी शराब के साथ बरामद किया गया। उक्त कांड में जप्त वाहन का अधिहरण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी तलासी सह जप्ती सूची तथा पुलिस निरीक्षक, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन के चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध अलौली थाना कांड संख्या-398/2019 दिनांक 18.11.2019 धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। चूँकि अवैध शराब/मादक द्रव्य/नशीली पदार्थ की खरीद-बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा-58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई। अवैध रूप से शराब के खरीद-बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण-पृच्छा किया गया। विपक्षी को निबंधित डाक एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। किन्तु उसके बाबजूद विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। अतः वाद के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई किया गया।	

25/6/21

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई के टिप्पणी तारीख–सहित

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि विपक्षी इस वाद में नोटिस के बाबजूद उपस्थित नहीं हुए जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है तथा अभियोजन के द्वारा किया गया कथन और उनके विरुद्ध गठित आरोप सत्य है।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है।

Section 13 : **Prohibition of liquor or intoxicants** – No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or **consume any intoxicant or liquor.**

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है।

Section 30 : **Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.**- Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act-

(d) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor.

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है :–

(क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भभका (स्टिल), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो;

(ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढ़ंग से आयात की गयी, ढ़ोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नषीली वस्तु या शराब;

(ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो;

(घ) उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन;

(ङ) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना निबंधन संख्या के लाल रंग के होण्डा कम्पनी का मोटर साईकिल पर

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
	सवार तथा हाथ में लिए उजला रंग के झोला में प्लास्टिक के बोरा में इम्पेरियल ब्लू 375 एम0एल0 का 30 बोतल शराब बरामद किया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। उक्त जप्त वाहन पर सवार व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई की गयी है तथा हाथ में लिए उजला रंग के झोला में इम्पेरियल ब्लू 375 एम0एल0 का 30 बोतल बरामद शराब जो व्यापारिक उदेश्य प्रमाणित किए जाने हेतु प्रर्याप्त आधार है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निदेशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसात किया जाए। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:– 1.इस अपराध में प्रयुक्त बिना निबंधन संख्या के लाल रंग के होण्डा कम्पनी का मोटर साईकिल जिसका वाहन संख्या–BR34C-9889 जप्त कर अलौली थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 (संशोधित अधिनियम– 2018) की धारा–58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय। **2.जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया** को निदेश दिया जाता है कि वे अलौली थाना में मोटर साईकिल जिसका वाहन संख्या–BR34C-9889 को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे। **3.अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया** को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि–रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष अलौली एवं संबंधित प्रतिवादी को भेजें। तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें। उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्त्ता, –सह– अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया। अपर समाहर्त्ता, –सह– अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।	